

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद  
(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 06/2019

दायर दिनांक : 02.04.2019

आदेश दिनांक : 28.11.2019

—:अनवान:—

श्री शांतिलाल पिता भंवरलाल हिंगड जैन उम्र वयस्क निवासी लाम्बोडी  
तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

—प्रार्थीगण



बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट मैनेजर जयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार गढबोर

—अप्रार्थीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997

उपस्थित:—

- 1 श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
- 2 श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01
4. श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता।

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 19.05.2016 को पारित एवार्ड राजस्व ग्राम लाम्बोडी में स्थित आराजी नम्बर 1576/574 की अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में चुनौती दी गई है तथा एवार्ड अभिवृद्धि के लिये विभिन्न आधार अपने प्रार्थनापत्र में लिये।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी की ओर से जवाबदेही प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि विपक्षी द्वारा नियमानुसार तत्समय प्रचलित डी.एल.सी. दर से मुआवजा तय किया गया है। प्रार्थी वर्तमान बाजार दर से मुआवजा चाहता है जो स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी को वर्ष 2014 में एवार्ड जारी होने से प्रार्थी को भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा देय नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं एवार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा उक्त एवार्ड अभिवृद्धि के लिये प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मुआवजा राशि प्रार्थी को डीएलसी दर अनुसार भुगतान नहीं की

म

गयी है तथा उक्त भूमि प्रार्थी की वाणिज्यिक उपयोग की होते हुए भी प्रार्थी को मुआवजा राशि वाणिज्यिक दर से भुगतान जारी नहीं किया गया है। उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में कृषि भूमि है। उक्त भूमि का मुआवजा 147 रूपये प्रति वर्गमीटर से तय किया गया। जबकि इसी ग्राम की अन्य कृषि भूमि का मुआवजा मे आराजी नम्बर 270 वगैरह मे 170 रूपये प्रतिवर्गमीटर की दर अदा किया गया। भूमि के एवार्ड के संबंध में देरी का ब्याज एवं तोषण राशि भी अदा नहीं की गयी। यह भी निवेदन किया कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत उक्त मामले में दिनांक 01.01.2015 से लागू हो चुके हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मानसिंह बनाम भारत संघ के मामले में 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिये जाने के निर्देश/आदेश इसी से लगी हुई भूमि के संबंध में प्रदान किये गये हैं लेकिन प्रार्थी को मुआवजा राशि वाणिज्यिक दर एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत भुगतान नहीं की गयी है। तथा यह भी निवेदन किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतसंघ बनाम तरसेमसिंह सिविल अपील संख्या 7064/2019 आदेश दिनांक 19.09.2019 के जरिये धारा 3(जे) नेशनल हाईवे प्राधिकरण को असंवैधानिक घोषित किया है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर भुगतान किये जाने के निर्देश फरमाये जावे।

विपक्षी द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी को डीएलसी दर पर ही भूमि का मुआवजा अदा किया गया है तथा प्रार्थी की भूमि अवाप्ति के समय जो किस्म रेकॉर्ड में दर्ज थी, उसी अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। प्रार्थी ने कोई आपत्ति एवं क्लेम आवेदन मुआवजा के संबंध में पेश नहीं किया है। अधिवक्ता विपक्षी का तर्क है कि प्रकरण में मूल अवार्ड दिनांक 12.11.2014 को निर्धारित कर दिया गया था। जिसकी स्वीकृति 18.12.2014 को प्राप्त हो चुकी थी। प्रार्थी को नोटिस भी दिनांक 24.12.2014 को काला से जारी हो चुका है। परन्तु प्रार्थी ने अपने क्लेम/ स्वामित्व प्रमाण/बाउचर दिनांक 31.12.2014 के पश्चात प्रस्तुत किये हैं। जिससे अवार्ड/भुगतान आदेश 2015 में जारी हुए हैं। ऐसे मामले में एन0एच0ए0आई के परिपत्र क्रमांक एन0एच0ए0आई/विविध/2019 दिनांक 06.06.2019 के द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किये है कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान ऐसे मामले में लागू नहीं होते हैं। साथ ही यह परिपत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की S.B. C.W.P.No. 12746/2017 आदेश दिनांक 22.01.2018 गोपाराम बनाम भारत संघ व अन्य कुल 14 प्रकरणों के आधार पर विधि राय अनुसार जारी हुआ है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन, विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा कृषि भूमि की दर से तय किया गया है साथ ही भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान दिनांक 01.01.2015 से लागू हो चुके हैं। जिसके संबंध में अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मानसिंह बनाम भारत संघ के मामले में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत भुगतान किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। विपक्षी ओर से मौखिक तर्क रहा है कि प्रार्थी की भूमि कृषि भूमि होकर राजस्व रेकॉर्ड में कृषि भूमि है। जिसके अनुसार ही कृषि भूमि की डी0एल0सी0 अनुसार अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थी वाणिज्यिक दर से अवार्ड प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अवार्ड वर्ष 2014 में ही जारी हो चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अवार्ड वृद्धि हेतु दो आधार लिये गये हैं। जिसमें अवार्ड कृषि भूमि की दर के स्थान पर वाणिज्यिक दर एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013



7

के आधार पर मुआवजा राशि का भुगतान करने बाबत आधार लिये गये है। इस संबंध मे विपक्षी द्वारा प्रार्थी को कृषि भूमि की दर से मुआवजा राशि भुगतान की गयी है। प्रार्थी की भूमि कृषि भूमि मुआवजा राशि अधिसूचना 3ए दिनांक को प्रचलित भूमि की दर अनुसार देय होती है। प्रार्थी की भूमि अधिसूचना के दिनांक किस्म कृषि भूमि होने से कृषि भूमि की दर से ही प्रार्थी भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसमें विपक्षी द्वारा कृषि भूमि की दर से भुगतान किये जाने मे कोई त्रुटी नहीं पायी जाती है। जहां तक भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा राशि का भुगतान का प्रश्न है विपक्षी का तर्क एवं जवाब है कि मूल अवार्ड का निर्धारण दि. 12.11.2014 को होकर अवार्ड की राशि भी दि. 18.12.2014 को काला के यहाँ जमा हो चुकी थी। प्रार्थी हितबद्ध को भी दि. 24.12.2014 को नोटिस जारी कर दिया गया था, परन्तु प्रार्थी ने अवार्ड राशि प्राप्त करने के लिये अपने क्लेम/स्वामित्व प्रमाण/बाउचर 31.12.2014 से पूर्व प्रस्तुत नही कर 31.12.2014 के पश्चात प्रस्तुत किये हैं। जिससे अवार्ड/भुगतान आदेश 2015 में जारी हुए हैं। इसमें विपक्षी की कोई त्रुटि नही पायी जाती हैं। प्रार्थी की जिम्मेवारी थी कि वे तय समय में अपना दावा प्रस्तुत करते, परन्तु ऐसा नही करने से प्रार्थी भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अर्न्तगत क्लेम प्राप्त करने का अधिकारी नही हो जाता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की S.B. C.W.P.No. 12746/2017 आदेश दिनांक 22.01.2018 में यह मत प्रतिपादित किया है कि यदि 31.12.2014 तक अवार्ड की राशि काला में जमा हो चुकी हैं, तो प्रार्थी भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अर्न्तगत क्लेम प्राप्त करने का अधिकारी नही है। एन0एच0ए0आई के परिपत्र क्रमांक एन0एच0ए0आई/विविध/2019 दिनांक 06.06.2019 से भी यह मत स्पष्ट होता है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में अवार्ड 18.12.2014 को काला के पास जमा हो चुका हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य नही हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

M

(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर  
राजसमंद

आदेश आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

M

(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर  
राजसमंद

